MR. CHAIRMAN: Last question. I do not think it requires much more time. Mr. Dhabe.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Sir, last time when we discussed this question, it was brought to the notice of this House that elections to the Councils from the local bodies have not been held in some States for the last ten years or so because the local bodies have been superseded and elections. . .

MR. CHAIRMAN: But this is not about local bodies.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: I am coming to that Elections to the Council are under the jurisdiction of the Election Commission. One of the major recommendations made in this report under item 19 is that such elections to local bodies should be brought within the jurisdiction of the Election Commission. Today the position is that in many States elections to the Councils from the local bodies are not held and therefore there are no representatives on the Councils from the local bodies for the last 10 years or so. May I know from the Minister whether he will take immediate steps to amend the law and bring it under the Election Commission and direct the States to hold elections to the local bodies like municipal bodies or corporations so that *Council* elections from the local bodies could be held?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यह मामला भी देखा जायेगा।

श्री सभापति : कल होगा, अच्छा मिस्टर मट्टू साहब आप पूछ लीजिए।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: The Law Minister has said that 70 proposals are under the consideration of the Government with regard to the election reforms. I would request the Law Minister to let us know whether one of these is anti-defection law on the lines of the Jammu and Kashmir law and whether this is under consideration.

श्री जगन्नाथ कौशल : जी हां, यह भी

MR. CHAIRMAN: Question No. 224. Question No. 223 is postponed.

*223. *Transferred to the 5th August* 1982]

कोयला खनन के लिए भूमि का अर्जन

*224. श्री राम नरेश कुशवाहा :†
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला खनन हेतु पुरानी एवं नयी योजनाओं के विस्तार के लिए सी० सी० एल० बी०, सी० सी० एल० और ई० सी० एल० द्वारा कहां-कहां और कितनी-कितनी जमीनें कोयलाधारक क्षेत्र अधिनियम और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत ली जा चुकी है या लिए जाने की संभावना है ; और

(ख) इन जमीनों के अधिग्रहण से कितने परिवार विस्थापित हुए हैं ; और

(ग) क्या विस्थापित परिवारों की सहायतार्थ सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) A statement is placed on the Table of the House.

(b) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) The acquisition of land under the Law requires payment of compensation to those whose lands are acquired and this responsibility is being discharged by the coal companies. However, in addition to cash compensation, the coal companies are also offering employment to the affected persons according to available vacancies. In the case of tribals whose lands are acquired, the companies have been advised also to provide homestead land to those tribals who have been displaced.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ram Naresh Kushwaha.

Statement

POSITION REGARDING ACQUISITION OF LAND UNDER DIFFERENT LAND ACQUISITION ACTS BY BCCL, CCL AND ECL FOR MINING AND OTHER OPERATIONS DURING THE PERIOD 1977–82 (UPTO MARCH)

Name of Company	State	(In acres) Area covered by the proposal	possession delivered
ECL	West Bengal	1777·50	167·73
	Bihar	54·00	—
		1831·50	167·73
BCCL	Bihar	4803·59	989·89
	West Bengal	71·16	—
		4874·75	989·89
CCL	Bihar	6671·33	549·19
	Madhya Pradesh, Uttar Pradesh; Orissa.	Information will be collected and laid on the Table of the House.	

(Figures are provisional)

श्री राम नरेश कुशवाहा : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि जिन लोगों की जमीनें ली जाती है, उनको कभी-कभी नौकरी भी दी जाती है, बसाने के लिए कभी-कभी जमीनें भी दी जाती हैं।

यह कभी-कभी बड़ा गोलमाल शब्द है। बहुत गरीब और कमजोर लोग हैं। ज्यादातर उजाड़े जाते हैं। प्रभावशाली लोग तो अपनी जमीन को अगल-बगल करके बचा लेते हैं और गरीब लोग उजड़ जाते हैं। न उनकी आजीविका का ठिकाना रहता है, न उनके बसने का ठिकाना रहता है।

तो क्या सरकार अनिवार्य रूप से कमजोर लोगों को जो अलाभकर जोत के किसान हैं, या ऐसे सीमांत कृषक हैं और दूसरे कमजोर लोग हैं, खेतिहर मजदूर है, मजदूरी करके किसी तरह से जीवनयापन करते हैं, अगर यह लोग उजाड़ते है, उनका घर ले लेते हैं, उनकी जमीन ले ली जाती है, तो अनिवार्य रूप से उनकी आजीविका का साधन देने का कोई प्रबन्ध करेगी ? क्योंकि पैसा देने से तो पैसा खर्च हो जाता है और उनकी आजीविका का साधन भी चला जाता है और वह भूखों मरने की स्थिति में आ जाते हैं। तो उनकी आजीविका का स्थायी साधन लेने के बाद आजीविका का स्थायी प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता है ?

दूसरी बात कि ऐसे लोगों को अनिवार्य रूप से उन खानों में नौकरी देने का प्रबन्ध होना चाहिए। ऐसा सरकार कर रही है या नहीं और यदि नहीं करती है, तो क्यों ?

MR. CHAIRMAN: It is a suggestion. I think this question was asked earlier also. This has happened in the House be-

fore also. I remember that but, still, give the assurance they want for these displaced persons.

श्री विक्रम महाजन : सभापति महोदय, सरकार की यह नीति है—जैसे मैंने जवाब में कहा कि जिन किसानों की हम जमीनें लेते हैं, तो जो डिफरेंट कोल कम्पनीज हैं उनके डिफरेंट रूल्ज हैं, लैंड लूजर्स को जिनको हम जमीन लेते हैं, एक एकड़ या दो या तीन एकड़, उनको हम नौकरी देते हैं, जैसे-जैसे नौकरियां खाली होती चली जाती हैं ।

इस वक्त हमारे पास काफी सरप्लस स्टाफ है । इसलिए यह कहना कि हर मजदूर को, जो उस खेती पर काम कर रहा है, उसको भी नौकरी दी जाए, प्रिंसिपल में तो हम एक्सैप्ट करते हैं, लेकिन यह कहना कि हम वाकई हर लैंड लूजर्स को देंगे, यह कहना मुश्किल है । जैसे-जैसे हमारे पास नौकरिया खुलती चली जाएंगी, वैसे-वैसे हम नौकरी देने की कोशिश करेंगे ।

जहां तक ट्राइबल्स का सवाल है, अगर हम उनके मकान की भी जमीन लेते हैं, तो उनको आल्टरनेट साइट देते हैं और साथ ही साथ हमने होम मिनिस्ट्री में एक कमेटी भी बनाई जो इस बात का ध्यान रखती है कि उनकी जमीनें कम से कम ली जाएं और उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए भी स्कीमें साथ ही साथ बनाई जाएं और यह भी मानिटरिंग की जाए कि जो प्रोग्राम्स रखे गये हैं, उसके तहत वाकई काम हो रहा है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही साथ हमने रिसैटलमेंट के लिए भी उनके लिए स्कीम्स बनाई हैं ।

तो इसलिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जहां तक हो सके कि उनको नौकरी दी जाए जिनकी जमीन ली जाती है ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : माननीय सभापति महोदय, कोशिश की जाती है, की जाएगी, विचार किया जा रहा है, यह सब मामले को बिल्कुल टालने वाली बात है । मैं तो ऐसे लोगों के बारे में नहीं कहता जो सक्षम हैं, मैं तो ऐसे अक्षम लोगों के बारे में कहना चाहता हूं कि जिनको आप थोड़ा सा मुआवजा दे देंगे और वह खर्च कर जायेंगे । वह आदिवासी और खेत मजदूर जिनका कोई दूसरा घर नहीं है और धर्ती भी नहीं है कि दूसरे मकान बना सकें, अगर किसी तरह मकान के लिए उनके पास जमीन थी, किसी भी कारण से, तो उसको भी आपने ले लिया, तो उनको बसाने का क्या इंतजाम करेंगे और वही टुकड़ा था जमीन का, जिससे उनकी रोटी-रोजी का प्रबन्ध था ।

श्रीमन, यह कहा जाता है आम तौर से, छटनी कर दी जाती है और कहा जाता है कि कर्मचारियों को धीरे-धीरे ले लिया जाएगा, धीरे-धीरे नौकरी दे दी जाएगी, धीरे-धीरे व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यह धीरे-धीरे कभी आता नहीं है । व्यवहार में यह है कि वह धीरे-धीरे कभी नहीं आता ।

तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी यह व्यवस्था कभी उन तक पहुंचेगी भी, या नहीं, या उनको चौराहे पर घर से, खेती से उजाड़ करके आप छोड़ देते हैं, इसके लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे या नहीं, क्योंकि आप सब की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो सीमांत लोग हैं, जो खेती मजदूर हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी एक सीमा से बिल्कुल कम है, गरीबी की सीमा रेखा से नीचे हैं,

उनके उजाड़ने के उपाय तो आप करते हैं, पर उनके बसाने की व्यवस्था करेंगे या नहीं, क्योंकि हर प्रकार से आपके ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि उनको बसाने की, और उनकी रोटी-रोजी का प्रबन्ध करें ? जिनको आप उजाड़ते हैं, उनके लिए तो जरूरी है कि आप प्रबन्ध करें और इसके लिए सीधा आश्वासन क्यों नहीं देते हैं कि हम करेंगे ।

श्री विक्रम महाजन : मैंने सवाल के उत्तर में पहले ही कह दिया कि हम जिनकी भी ज़मीन लेंगे—और हम ने यहां तक कह दिया—कि अगर एक एकड़ भी ज़मीन लेंगे तो उस फेमिली से एक आदमी को जरूर नौकरी दी जाएगी । इसी ढंग से हर कम्पनी ने अपने अपने नार्म्स रखे हैं, उस के तहत हम उनको राहत देंगे । और, जहां तक ताल्लुक है हरिजन और ट्राइबल्स का, मैंने ट्राइबल्स के बारे में कह दिया कि एक कमेटी भी हमने नियुक्त कर दी है जो यह देखेगी कि जिनके हम मकान लेंगे उन को आल्टरनेटिव्ह साइट देंगे । साथ ही उनके लिए हम ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे उनको राहत देने में मदद मिले ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन सरकार लेती है एक तो उन को उचित मुआवजा सरकार दिला नहीं पाती है इस लिए जिन किसानों की ज़मीन सरकार ले उनको वहां पर जो जमीन की वास्तविक दर है उस अनुपात में जमीन का मुआवजा मिले । दूसरे, जिस हल्के में यह खान वगैरह है उस हल्के में बसने वाले अधिकतर आदिवासी हैं जो अज्ञान भी है, निरक्षर भी हैं, मूर्ख भी हैं । उन की ज़मीन सरकार ले लेती है, और जो मुआवजा सरकार देती है उन आदिवासियों को वह मुआवजा भी नहीं मिल पाता और दूसरे लोग जो बाहर के बसे हैं उनको उस मुआवजे का भुगतान मिल जाता है । तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उन आदिवासियों को उचित मुआवजा निश्चय मिल जाए और इसी तरह उन आदिवासियों को निश्चित तौर पर नौकरी भी मिल जाए । जब तक यह व्यवस्था नहीं करोगे, तो बाहर से आए लोग नौकरी पा लेते हैं, वहां के हरिजन और आदिवासी नौकरी पाते ही नहीं । उन के बदले में दूसरे को रख लिया जाता है । यहां तक होता है सभापति महोदय, कि उन से कागज में लिखा लिया जाता है कि नौकरी पर हैं और शराब वगैरह पिला कर दूसरों को उनके बदले में नौकरी पर रख दिया जाता है । तो इस मामले में सरकार सख्ती से कार्यवाही करे जिससे उनको उनका उचित हक तो दिला सके ।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक नौकरी का ताल्लुक है उस के बारे में मैंने पहले बता दिया । जहां तक मुआवजे का सवाल है, लैंड एक्विजिशन ऐक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स जमीन को एक्वायर करती है और हम स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवांस पैसा दे देते हैं जिसकी तहत वे उन किसानों को जिनकी जमीन ली जाती है, चाहे वे हरिजन या ट्राइबल हों, दूसरे हों, उन को मुआवजा देते हैं । अगर माननीय सदस्य के सामने कोई स्पेसिफिक इंसटेंस आया हो, तो मैं इंक्वायरी करके पता करूंगा और उनको पूरी राहत देने की कोशिश की जाएगी और इसी ढंग से अगर कोई इंसटेंस उन के सामने आया हो जहां पर किसी भी गलत आदमी को नौकरी दी गई हो, वह भी हमें बता दें ; हम इंक्वायरी करेंगे । तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं । हम पूरा जोर लगा रहे हैं जिस से ठीक

आदमी को नौकरी मिले और ठीक आदमी को मुआवजा मिले ।

श्री घन श्याम सिंह : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने लोगों का भूमि अधिगृहण उन्होंने किया है तथा उनमें कितने परिवार ऐसे थे जो एलिजिबल थे, जिन को नौकरी मिल सकती थी और कितनों को नौकरी मिल गई है ? सवाल यह है कि जिनकी जमीनें ली जाती हैं उन को नौकरी दी जाती है या नहीं, क्योंकि प्राइवेट कम्पनी जब सरकार उन से पूछती है, तो यह जवाब दे देते हैं कि हम ने सब को नौकरी दे दी है, कोई शिकायत नहीं है । तो कृपया यह डाटा बता दें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ।

श्री सभापति : आपको डाटा मालूम है ?

श्री विक्रम महाजन : मेरे पास डाटा नहीं है कि कितनों को हमने नौकरी इस वक्त दी है मगर हमने एश्योरेंस हाऊस में दी है कि हम जिन-जिन को जमीन एक्वायर करेंगे उनको नौकरियां देंगे । यह डाटा हम आपको बाद में दे सकेंगे ।

श्रीमती मनोरमा पाण्डेय : माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि लैंड एक्विजिशन के बारे में विभिन्न कम्पनियों का यह-यह प्रपोजल है लेकिन जितनी भी जमीन का पोजेशन मिला है वे बहुत ही कम हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरफेस लैंड कम होने की वजह से विभिन्न कोलियरीज का कोयला बाहर पड़ा हुआ है और पुरानी क्वैरीज में रखा गया है जिस के चलते वहां काफी चोरी हो रही है अतः सरफेस लैंड को एक्वायर करने के लिए आप शीघ्रता से क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री विक्रम महाजन : हमारे सामने यह प्राबलम आ रहा है कि जो जमीन एक्वायर करना चाहते हैं वह हमें मिल नहीं रही, जैसे हमें 3536 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी, इन दो सालों में 773 हेक्टेयर जमीन मिली । कहीं हमें स्टेट गवर्नमेंट्स मदद नहीं करतीं और कहीं वहां की कुछ पोलिटिकल पार्टीज उकसाती हैं लोगों को और आबस्ट्रक्शन करती हैं । यह सही कहती हैं कि हमें पूरी जमीन नहीं मिली । जहां तक चोरी का ताल्लुक है, वहां पर हम ने पूरी सीक्योरिटी का इन्तजाम किया है । चोरी बहुत नामिनल सी है जिस को हम इगनोर कर सकते हैं । अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टांस हमारे सामने आया है तो हम ने उस पर पूरा एक्शन लिया है ।

SHRIMATI MANORAMA PANDEY: Sir. . .

MR. CHAIRMAN: You have asked your question. Mr. Kalyan Roy. This is last question.

SHRI KALYAN ROY: The matter has become absolutely serious. Is it not a fact that a large number of new coal-mines have been delayed, and in some cases they have been temporarily abandoned because of the serious resistance of the local people who want jobs for the loss of land? In this House, Sir, there was question on the 2nd of March, 1981. It was said that fifteen villagers were killed in the Balarampur Project of the CCL, the Central Coal fields Limited, because of the dispute and that there was agitation, holding up of coal washeries at the Kedia area in the Central Coalfields. Because of the seriousness of the situation, is the Minister aware that the joint bi-partite committee for the coal industry, set up a committee under the present Chairman of Coal India to sort out the difference in co-operation with the trade unions? Sir, the second question is: Is he also aware that the five coal companies have no uniform policy on who has to get job. So,

the Central Coalfields offers one for loss of three acres of land; and the Eastern Coalfields, one for loss of one acre of land. In order to have uniformity and the co-operation, a sub-committee was set up under the chairmanship of Wadhera. What has happened to the report of the sub-committee? How many times did it meet? Were the reports accepted? Following that, Sir, there was an agreement in the presence of the Chief Minister, Mr. Jyoti Bosu, where the Chairman of the Coal India was present and the representatives of all the Central trade unions were present. There also an agreement was arrived at. What has happened to the implementation of the agreement which would take care of the serious agitation which has affected the acquiring of land in Madhya Pradesh and around Singrauli, in the Central Coalfields, the Hazari Bagh area and in large parts of the Birbhum and the Burdwan Districts of West Bengal.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: We are facing the problem in the acquisition of land mainly in the areas covered by West Bengal and Bihar. In Madhya Pradesh we have a very nominal problem. In West Bengal the major problem is that it is not the land-losers who are mainly creating obstruction but it is the people who did not lose land. Therefore, the problem has not been created by the land-losers but by those who are not land-losers of the surrounding villages. That is the main problem being faced in West Bengal. The most liberal form of employment is being provided in West Bengal. We are offering one job for one acre, whereas in other areas we are offering one job for three acres as the Member has correctly put it, as for example, in the CCL. It is true, and the hon. Member also knows, that in West Bengal we have very little leverage to control the law and order situation. Therefore, any number of committees we may appoint, are not going to solve the problem unless the Government also helps us.

SHRI KALYAN ROY: Sir, I have asked the specific questions: What happened to the agreements of the joint bipartite coal committee regarding giving of jobs for loss of land and what happened to the agreement which was signed before Mr. Jyoti Bosu, Chief Minister, where the trade union representatives were also present? Mr. Mody has pointed out that the Minister specially in charge of coal, Mr. Gargi Shankar Mishra, is absent. Mr. Ghani Khan Chaudhuri, the Cabinet Minister is absent. It has been given to a man who has nothing to do with coal. This is how the Parliamentary democracy is functioning. He is not fit, not competent to answer any question regarding coal committees which were set up. What has happened to the agreements? *(Interruptions)*

SHRI VIKRAM MAHAJAN: The hon. Member has very little knowledge of the subject. *(Interruptions)*

SHRI KALYAN ROY: What is your specific reply to the specific question?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: I have specifically answered. We have honoured all the agreements. The problem we are facing is because of the lack of co-operation from the West Bengal Government.

SHRI KALYAN ROY: I asked: What happened to the implementation of the agreements? What are the agreements? Is he aware that there was a committee under the Chairman of the Coal India? How many times did it meet? Does he know anything? Let him answer, Sir, or, let him enquire into it.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: The answer which I have given is complete. The hon. Member is in the habit of raking up questions again and again.

SHRI PILOO MODY: Where is Gunny-bags, first of all?

MR. CHAIRMAN: Question No. 225. I think it is better to go to something else.

SHRI KALYAN ROY: I think this is a very relevant question. Where is Gunny-bag?

SHRI PILOO MODY: Where is Gunny-bags?

*225. [*The questioner (Shri K. V. R. S. Balsubba Rao) was absent, For answer* vide col. . . infra]